

प्रेषक,

संजय कुमार तिवारी,  
अनु सचिव,  
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
नगरीय निकाय निदेशालय,  
उ0प्र0 लखनऊ।

**नगर विकास अनुभाग-2**

**लखनऊ: दिनांक // जनवरी, 2024**

**विषय:-** मुख्यमंत्री नगर सृजन योजनान्तर्गत विस्तारित नगर पालिका परिषद बिलरियागंज, जनपद-आजमगढ़ को द्वितीय किश्त अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

**महोदय,**

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-तक0सेल/432/29/मु0मं0न0सू0यो0-यू0सी0/2023-24, दिनांक-19.12.2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से विस्तारित नगर पालिका परिषद बिलरियागंज, जनपद-आजमगढ़ को प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि से कराये गये कार्यों के फोटोग्राफ्स, समिति की निरीक्षण आख्या एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराते हुये द्वितीय किश्त अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्यमंत्री नगर सृजन योजनान्तर्गत विस्तारित नगर पालिका परिषद बिलरियागंज, जनपद-आजमगढ़ को शासनादेश संख्या-158/2022/4349/002-E-1672197-84ज-22, दिनांक-16.12.2022 द्वारा प्रथम किश्त अवमुक्त की गयी। प्रथम किश्त से कराये गये कार्यों के दृष्टिगत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय व्ययक के अनुदान सं0-37 के संगत लेखाशीर्षक के अन्तर्गत प्राविधानित बजट के सापेक्ष उपलब्ध अवशेष धनराशि में से विस्तारित नगर पालिका परिषद बिलरियागंज, जनपद-आजमगढ़ को तालिका में उल्लिखित 23 कार्य की अवशेष द्वितीय किश्त की पूर्णांक धनराशि **रू0 86,37,646.00 (रू0 छियासी लाख सैंतीस हजार छः सौ छियालीस मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति कतिपय शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख में)

क्र0 सं0	कार्य का नाम	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि	प्रथम किश्त की निर्गत धनराशि	अवमुक्त की जा रही द्वितीय किश्त की धनराशि
1	2	3	4	5
1	WARD NO 10 RAHUL NAGAR ME SUCHALYA SE MAHARAJGANJ TRIMUHANI TAK NALI NIRMAN KARYA	22,65,334.50	11,32,667.25	5,78,792.75
2	WARD NO 12 MADHANA ME PWD RODE PASC HIM PATRI PAR GANESH BARETA KE MAKAN SE ASTHA LAL SRIWASTAV KE CHAK TAK NALI NW A NIRMAN KARYA	10,76,779.50	5,38,389.75	2,63,811.25
3	WARD NO 12 MADHANAPAR ME MUKHYA PW D MARG SE PANCHAYAT BHAWAN TAK INTARL AKING NIRMAN KARYA	13,11,157.00	6,55,578.50	2,41,453.50
4	WARD NO 23 CHIHIN ME CHOTELAL KE MAKAN SE JILAJEET GUPTA KE MAKAN TAK NALI KA NIRMAN KARYA	14,33,346.00	7,16,673.00	7,16,673.00

I/469179/2024

5	WARD NO 14 DORJI DHAWORHARA ME BALKES WAR YADAV KE GHAR SE LALBAHADUR KE GHAR TAK NALI INTARLAKING KA KARYA	8,45,847.60	4,22,923.80	4,22,923.20
6	WARD NO 20 NASIRPUR ME UTTAR MOHALLA J AFARUL HASN KE MAKAN KE MAKAN SE MUJAHID KA MAKAN HOTE HUYE ABDUL RAHAMAN KE MAKAN TAK NALI WA INTARLAKING NIRMANN KARYA	5,01,417.40	2,50,708.70	2,50,708.30
7	WARD NO 12 MADHANAPAR ME CHHOTU KE GHAR SE HARISHANKAR VISWKARMA KE GHAR TAK INTARLAKING KA NIRMANN KARYA	17,82,997.70	8,91,498.85	3,07,498.15
8	WARD NO 15 BILARIYAGANJ ME JULLU KE MAKAN SE AKTHIYA CHURAHA TAK CC RODE KA NIRMANN KARYA	36,31,361.50	18,15,680.75	5,19,777.25
9	WARD NO 15 BILARIYAGANJ ME MUCHUNU KI ADDI SE AYUB KE MAKAN TAK NALI AWAM CC RODE TATHA KARASING KA NIRMANN KARYA	23,68,791.00	11,84,395.50	3,39,058.50
10	WARD NO 7 JALALPUR (BADIHARI) RAMBACHAN RAJBHAR KE MAKAN SE JAIPRAKASH SINGH KA MAKAN HOTE HUYE NAGENDRA SINGH KE GHAR KE PICHE CC RODE TAK CC RODE KA NIRMANN KARYA	9,99,403.95	4,99,701.97	1,53,849.03
11	WARD NO 7 JALALPUR ME MEN RODE SE MOTI KE GHAR TAK INTARLAKING KARYA	28,60,733.00	14,30,366.50	4,64,082.50
12	WARD NO 9 GADDOPUR ME GORIYA/GULWA PICH MARG SE RAMJANM YADAV KA GHAR HOTE HUYE GADDOPUR-ALAUDDINPATTI MARG TAK INTARLAKING NIRMANN KARYA	35,16,190.55	17,58,095.27	6,40,349.73
13	WARD NO 25 SHEKHUPUR ME PWD MARG SE DHARMO,LURKHUR,RUPCHAND KE MAKAN HOTE HUYE ARVIND KE MAKAN TAK AWAM DHARMO KE MAKAN SE RAMAWADH KE MAKAN TAK NALI AWAM INTARLAKING KARYA	20,33,597.25	10,16,798.62	5,43,986.38
14	WARD NO 23 CHHIHIN ME PWD SADAK SE GAJENHAR KE MAKAN HOTE HUYE MEWA KE GHAR TAK VA GAJENDHAR KE GHAR SE HARIJAN KABRISTAN TAK INTARLAKING AWAM NALI NIRMANN KARYA	39,08,761.80	19,54,380.90	10,06,506.10
15	WARD NO 24 CHHICHHORI ME PWD / JEB KI BAG SE BALDEEN,TUFANI,MUNESWAR,LALCHANDRA AADI KE MAKAN HOTE HUYE HARIKISUN KE MAKAN TAK INTARLAKING AWAM NALI KA NIRMANN KARYA	22,42,855.50	11,21,427.75	6,16,785.25
16	WARD NO 4 TENDUWA (MATH VISAMBAR) ME PARAMARI PATHASHALA SE HARDEV RAI KE GHAR TAK INTARLAKING KA NIRMANN KARYA	5,03,919.00	2,51,959.50	75,029.50
17	WARD NO 2 PADARI PARANPUR AMAR SINGH KE GHAR SE UTTAR GRAM SACHIWALAY TAK INTARLAKING KA NIRMANN KARYA	7,52,338.50	3,76,169.25	1,23,827.75
18	WARD NO 15 BILARIYAGANJ ME AKTAHIYA PICH RODE SE HARIJAN BASTTI TAK INTARLAKING NIRMANN KARYA	7,52,338.50	3,76,169.25	1,80,625.75
19	WARD NO 21 JAGMALPUR ME RIYAJ KHAN KE GHAR SE UMESH GAUD KE GHAR TAK INTARLAKING NIRMANN KARYA	4,04,551.20	2,02,275.60	2,02,275.40
20	WARD NO 5 AKBARPUR ME UDAYPRATAP KE GHAR SE CC RODE HOTE HUYE BAHA TAK NALI NIRMANN KARYA	11,07,430.00	5,53,715.00	5,53,715.00

179/2024	WARD NO 11 SHIV NAGAR ME KAMLA SINGH K E MAKAN SE RAMANUJ SCHOOL TAK INTARLAK ING KA KARYA	3,05,183.40	1,52,591.70	51,293.30
22	WARD NO 9 GADDOPUR PICH RO AD SE SAMU DAYIK MILAN KENDRA TAK INTARLAKING KA KA RYA	1,176,277.10	5,88,138.55	2,11,750.00
23	WARD NO 22 MOHAMMADPUR ME PICH MAR G SE FAIYAJ KE GHAR TAK INTARLAKING KA KA RYA	992,745.80	4,96,372.9	1,72,875.00
<b>योग</b>		<b>3,67,73,357.75</b>	<b>1,83,86,678.86</b>	<b>86,37,646.59</b>

**नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों**

- स्वीकृत धनराशि निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं०-5/2023-बी-1-322/दस-2023, ई-पत्रावली सं०-10-5002/125/2021, दिनांक-02.05.2023 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार सम्बन्धित निकाय को धनराशि नियमानुसार उपलब्ध करायी जायेगी।
- इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-1489/नौ-2022-84ज/22, दिनांक-08.08.2022 के माध्यम से निर्गत मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के दिशा-निर्देशों में निर्धारित प्रक्रियानुसार सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त सम्बन्धित निकायों को व्यय हेतु उपलब्ध करायी जायेगी।
- धनराशि का आहरण राजकोष में तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा और धनराशि आहरित करके अनावश्यक रूप से बैंक/डाक घर में नहीं रखी जायेगी।
- कार्यों हेतु निकाय स्तर पर गठित बोर्ड के अनुमोदनोपरान्त ही कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।
- अवमुक्त की जा धनराशि नियमानुसार टेण्डर की प्रक्रिया पूर्ण कराते हुए वर्क ऑर्डर निर्गत करने के उपरान्त ही निकाय द्वारा स्वीकृत कार्यों हेतु व्यय की जायेगी।
- अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपभोग नियमानुसार स्वीकृत किये गये कार्यों पर ही व्यय की जायेगी।
- कार्यों की मात्राओं के निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/निकाय का होगा।
- धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप ही किया जायेगा।
- प्रश्रुत कार्य करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर कार्य प्रारम्भ किये जायें तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने तथा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों का क्लियरन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही कार्य प्रारम्भ किया जाये।
- कार्यों की विशिष्टियाँ, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी सम्बन्धित निगम की होगी तथा निगम द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा/अवधि में ही पूर्ण हो जाये।
- प्रश्रुत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाये। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
- कार्य स्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत 'डिस्टले बोर्ड' पर कार्य का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था/कार्य प्रारम्भ होने की तिथि का उल्लेख किया जायेगा।
- व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन तथा महालेखाकार, उ०प्र०, प्रयागराज को समयान्तर्गत उपलब्ध कराया जायेगा।
- लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
- इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों के वित्त नियन्त्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखा अधिकारी अथवा सहायक लेखा अधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो, तो सम्बन्धित वित्त नियन्त्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल प्रशासकीय विभाग तथा वित्त विभाग को दी जायेगी।
- सम्बन्धित निकाय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्रुत कार्यों हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोतों से धनराशि स्वीकृत न की गयी हो तथा न ही वर्तमान में यह कार्य किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में सम्मिलित है। योजनान्तर्गत यदि किसी कार्य की द्विरावृत्ति होती है, तो सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी तथा वित्त एवं लेखा संवर्ग के अधिकारी द्वारा शासन को सूचित किया जायेगा। अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित अधिकारी तथा वित्त एवं लेखा संवर्ग के अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

I/469179/2024 कार्यों के लिये स्वीकृत धनराशि का व्यय निविदा/कार्यदिश निर्गत होने की सीमा तक किया जायेगा तथा शेष धनराशि वापस राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।

18. निर्गत की जा रही धनराशि एक सप्ताह के अन्दर कार्य प्रारम्भ करने हेतु निकायों को उपलब्ध करायी जाये।
19. निर्गत की जा रही धनराशि से निकायों द्वारा 01 माह के अन्दर कार्य पूर्ण कराते हुये कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र के साथ शासनादेश सं0-1489/नौ-9-2022-84ज/22, दिनांक-08.08.2022 में दिये गये निर्देशानुसार कार्यों की जांच आख्या, उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं मूल फोटोग्राफ्स निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय एवं शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
20. इस सम्बन्ध में शासनादेश सं0-1489/नौ-9-2022-84ज/22, दिनांक-08.08.2022 के माध्यम से निर्गत मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी द्वारा समय-समय पर आवश्यकतानुसार कार्यों की जांच कर गुणवत्ता सुनिश्चित की जायेगी। इस हेतु विकसित डैश बोर्ड पर योजना की भौतिक/वित्तीय प्रगति एवं फोटोग्राफ्स अपलोड किये जायेंगे।
21. समस्त निकाय द्वारा यह विशेष रूप से ध्यान रखा जायेगा कि किसी भी दशा में नवसृजित/विस्तारित नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद क्षेत्र में ही निर्माण कार्य किया जाय। इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित जिलाधिकारी/अध्यक्ष, संबंधित निकाय/अधिशासी अधिकारी, संबंधित निकाय की होगी।
22. स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय हेतु वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17.03.2023 की शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 86,37,646 (रुपये छियासी लाख सैंतीस हजार छह सौ छियालीस मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 2217801920300 उच्चिकृत/सीमा विस्तारित नगर पालिका परिषदों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास मानक मद 35 पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय  
Digitally Signed by संजय  
कुमार तिवारी  
Date: 11-01-2024 13:27:37  
Reason: Approved  
(संजय कुमार तिवारी)  
अनु सचिव।

**संख्या-06 (1)/2024/2। मु0म0न0सू0यो0/9-2-2024/1777845, तद् दिनांक।**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-**

- (1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- (2) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- (3) मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, कोषागार, लखनऊ।
- (4) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- (5) निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (6) मण्डलायुक्त, आजमगढ़।
- (7) जिलाधिकारी, आजमगढ़।
- (8) अधिशासी अधिकारी, विस्तारित नगर पालिका परिषद बिलरियागंज, जनपद-आजमगढ़।
- (9) निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ।

I/469179/2024) सहायक निदेशक, (वित्त), नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।

- (11) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ०प्र० शासन।
- (12) कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
- (13) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजय कुमार तिवारी)  
अनु सचिव।